



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072024-255821
CG-DL-E-28072024-255821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2859]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2859]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 3000(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तेलंगाना राज्य के NH-353C के सिरोंचा-आत्माकूर सेक्शन पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2/4 लेन में उन्नयन हेतु, जयशंकर भूपालापल्ली जिले में NH-353C के कि.मी. 67.000 से कि.मी. 92.000 तक के लिए ऑफिस ऑफ़ रेवेन्यू डिविशनल ऑफ़िसर भूपालापल्ली, हनमकोंडा जिले में NH-353C के कि.मी. 92.000 से कि.मी. 108.556 तक के लिए ऑफिस ऑफ़ रेवेन्यू डिविशनल ऑफ़िसर परकाल को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गाँवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-353C के सिरोंचा-आत्माकूर सेक्शन पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	आरडीओ भूपालापल्ली	राष्ट्रीय राजमार्ग	तेलंगाना	जयशंकर भूपालापल्ली	(भूपालापल्ली)	1 मोरांचापल्ली

		संख्या NH353C के कि.मी. 67 से कि.मी. 92 तक			घनपुर (मुलुग)	1	चेलपुर
					(रेगोण्डा)	1	भगीरथपेटा
						2	रमणगुडेम
						3	कोठापल्ली (बी)
						4	रुपिरेड्डीपल्ली
					(घोरीकोठापल्ली)	1	चेन्नापुर
2	आरडीओ परकाल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH353C के कि.मी. 92 से कि.मी. 108.556 तक	तेलंगाना	हनमकोंडा	(परकाल)	1	परकाल
						2	कामरेडडीपल्ली
					(शयमपेट)	1	पेद्दाकोडेपाका
						2	गोविंदपुर
						3	ताहरपुर
						4	सिंगारम (कोथागत्तु)
					(आत्मकूर)	1	कोथागत्तु

[फा. सं. DB/D1/EE/R&B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024]

अभय जैन, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 3000(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the **said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule by Office of Revenue Divisional officer Bhupalpally in JAYASHANKAR BHUPALPALLY district for km. 67.000 to 92.000, by Office of Revenue Divisional officer Parkal in Hanamkonda district for Km. 92.000 to 108.556 for upgradation of Sironcha-Atmakur Section to 2 laning with paved shoulders in the State of TELANGANA.**

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-353C of Sironcha-Atmakur Section in the State of TELANGANA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	RDO Bhupalpally	NH353C KM. 67 TO KM. 92	TELANGANA	JAYASHANKAR BHUPALPALLY	Bhupalpally	1 Moranchapally
					Ghanpur(Mulug)	1 Chelpur
					Regonda	1 Bhagirthpeta

						2	Ramannagudem
						3	Kothapally (B)
						4	Rupireddypalli
					Ghorikothapally	1	Chennapur
2	RDO Parkal	NH353C KM. 92 TO KM. 108.556	TELANGANA	Hanamkonda	Parkal	1	Parkal
						2	Kamareddypalli
					Shayampet	1	Peddakodepaka
						2	Govindapur
						3	Taharapur
						4	Singaram (Kothagattu)
					Atmakur	1	Kothagattu

[F. No. DB/D1/EE/R&B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.